Journal of Advances in Developmental Research (IJAIDR)

E-ISSN: 0976-4844 ● Website: www.ijaidr.com ● Email: editor@ijaidr.com

मौर्यकालीन अभिलेखों में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन का चित्रण

Bhanu Prakash Soni

Assistant Professor-History, R.D. Girls College Bharatpur

सारांश

इतिहास के अध्ययन में अनेक स्त्रोत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इनमें अभिलेखों का स्थान विशिष्ट है। अभिलेख वह लिखित सामग्री है जो पाषाण खंड, स्तंभ, ताम्रपत्र, धर्मस्थल, मुद्रा, देवालय, राजमहल आदि पर उत्कीर्ण की गई होती है। यह किसी भी क्षेत्र के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं का मूक साक्षी होता है। अभिलेखों की विशेषता यह है कि इनमें दी गई जानकारी को प्रामाणिक और ऐतिहासिक रूप से सटीक माना जाता है, क्योंकि इनमें राजाओं की उपलब्धियों, वंशावलियों, दानशीलता, विजयोत्सव, और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण मिलता है। भारतीय इतिहास में पहली बार मौर्यकाल में सम्राट अशोक ने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए। इसके बाद गुप्तकाल, शुंग वंश, कुषाण वंश आदि के समय में भी अभिलेखों का निर्माण जारी रहा। इन अभिलेखों ने मानव जीवन के विविध पहलुओं को सजीव रूप में प्रस्तुत किया है। इनमें प्राचीन भारतीय समाज के धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, और सांस्कृतिक जीवन की झलक मिलती है, जो प्राचीन काल के मानव जीवन को समझने में सहायक है।

सम्राट अशोक के अभिलेख भारतीय इतिहास के सबसे प्रामाणिक और तिथियुक्त अभिलेख माने जाते हैं। ये शिलाओं, स्तंभों और गुहाओं में उत्कीर्ण किए गए थे। इनकी भाषा मुख्यतः प्राकृत (पाली) थी और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। हालांकि, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा (पश्चिमोत्तर प्रांत) से प्राप्त अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं, जबकि तक्षशिला और लमगान (अफगानिस्तान) के अभिलेख अरेमाइक लिपि में पाए गए। कंधार (अफगानिस्तान) में एक विशेष अभिलेख यूनानी और अरेमाइक, दोनों भाषाओं में लिखा गया था।

अशोक के ये अभिलेख आधुनिक बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के विभिन्न स्थलों पर पाए गए हैं। इन अभिलेखों में मानव जीवन की गहराई और विविधता को दर्शाया गया है। ये सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक सुधार, राजनीतिक दृष्टिकोण और आर्थिक संरचनाओं की जानकारी प्रदान करते हैं, जो उस समय के मानव जीवन का समग्र चित्रण प्रस्तुत करते हैं।

मुख्य शब्द: अभिलेख, ताम्रपत्र, राजवंश, स्त्रोत, स्मारक, लिपि, देवालय।

यह शोध पत्र द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है और ऐतिहासिक विश्लेषण एवं वर्णनात्मक दृष्टिकोण को अपनाता है। इसमें प्रस्तुत सामग्री प्रमुख पुस्तकों और प्रामाणिक स्त्रोतों से संकलित की गई है।

शोध के उद्देश्य:

प्रस्तुत शोध पत्र के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. प्राचीन भारतीय इतिहास में अभिलेखों के महत्व को उजागर करना।
2. मौर्य राजवंश के इतिहास का अध्ययन करना।
3. मौर्य कालीन शासकों की उपलब्धियों को समझना।
4. मौर्य काल में मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं और तत्कालीन परिस्थितियों का विश्लेषण करना।

मौर्य राजवंश का महत्व

मौर्य वंश प्राचीन भारत का एक अत्यंत प्रभावशाली और ऐतिहासिक महत्व रखने वाला राजवंश था। इस वंश ने प्राचीन भारत में एक विशाल और संगठित साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी जड़ें राजनीति, संस्कृति और प्रशासन के क्षेत्र में गहरी थीं। इस वंश के शासकों ने न केवल साम्राज्य विस्तार किया, बल्कि समाज सुधार और सांस्कृतिक एकता के लिए भी अद्वितीय कार्य किए। मौर्य वंश के सबसे प्रमुख और महान शासक सम्राट अशोक थे, जिनका योगदान इतिहास में अमिट है। अशोक ने अपनी शासनकाल में शांति, अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उनके शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि उनके द्वारा उत्कीर्ण किए गए अभिलेख हैं। ये अभिलेख न केवल प्रशासनिक और सामाजिक नीतियों को दर्शाते हैं, बल्कि तत्कालीन मानव जीवन, सामाजिक संरचना, धार्मिक मान्यताओं और आर्थिक गतिविधियों की भी सटीक झलक प्रदान करते हैं।

अभिलेखों का महत्व और सम्राट अशोक के प्रयास

अभिलेखों का महत्व इस तथ्य में निहित है कि ये प्राचीन इतिहास का सजीव दस्तावेज हैं। अशोक द्वारा उत्कीर्ण अभिलेख विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं क्योंकि वे तत्कालीन समाज और शासन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। सम्राट अशोक के प्रमुख शिलालेखों की संख्या 14 है, जो विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये शिलालेख शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा (पाकिस्तान), कालसी (देहरादून), गिरनार (जूनागढ़), धौली (भुवनेश्वर), जौगढ़ (गंजाम), एर्रगुडी (कर्नूल), और सोपारा (थाणे) जैसे स्थलों पर पाए गए हैं।

इन अभिलेखों में सम्राट अशोक की नीतियों, दानशीलता, धार्मिक सहिष्णुता, और मानव जीवन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का विवरण मिलता है। साथ ही, यह मौर्यकालीन समाज और प्रशासनिक व्यवस्था को भी बारीकी से समझने का अवसर प्रदान करते हैं। अशोक के अतिरिक्त, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे अन्य शासकों का भी इस वंश को गौरवशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

इस प्रकार, मौर्यकालीन अभिलेख न केवल तत्कालीन मानव जीवन का दर्पण हैं, बल्कि वे भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक विकास को भी समझने में सहायक हैं।

राजनीतिक जीवन

अभिलेखों से न केवल धार्मिक और सामाजिक जीवन, बल्कि राजनीतिक जीवन की भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इन अभिलेखों के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि किस राजा का शासनकाल क्या था, साथ ही उनके प्रशासनिक और सैन्य उपलब्धियों की भी सटीक जानकारी मिलती है। मौर्य काल के शासक, विशेष रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक, अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए प्रसिद्ध थे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्यवादी और दिग्विजयी नीति अपनाई थी, जिसमें उन्होंने विभिन्न राज्यों को जीतकर मौर्य साम्राज्य में शामिल किया। इसी नीति का अनुसरण सम्राट अशोक ने भी किया। अशोक के तेरहवें शिलालेख में कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह युद्ध अशोक के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद उन्होंने अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया।

खारवेल के हाथीगुंफा अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि कलिंग युद्ध से पहले नंद वंश के शासकों ने कलिंग को जीतकर मगध साम्राज्य के अधीन कर लिया था। बाद में, सम्राट अशोक ने कलिंग को पुनः अपनी विजय के तहत लाकर उसे मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया। इस प्रकार, सम्राट अशोक की विस्तारवादी नीति को समझने के लिए इन अभिलेखों का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

राजकीय दान और निर्माण

राजाओं के द्वारा किए गए दान और उनकी निर्माण गतिविधियों की जानकारी भी इन अभिलेखों से मिलती है। अभिलेखों में यह उल्लेखित है कि शासकों ने विभिन्न धार्मिक स्थलों को दान दिया, मंदिरों और स्तूपों का निर्माण करवाया, और कई सामाजिक परियोजनाओं को साकार किया। इस दृष्टि से मौर्य काल में बौद्ध गुफाओं का निर्माण एक विशेष स्थान रखता है। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य करवाए। उनके रूम्मिनदेई अभिलेख में यह उल्लेख है कि उन्होंने वहां एक विशाल पाषाण दीवार बनवायी और एक पाषाण स्तंभ स्थापित किया। यह स्तंभ और दीवार बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सहायक बने।

रूम्मिनदेई के पास स्थित निग्लीव नामक स्थल पर बने कनकमुनि बुद्ध के स्तूप को सम्राट अशोक ने पुनर्निर्मित किया और उसका आकार दोगुना करवा दिया। यह जानकारी निग्लीव स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। इन निर्माण कार्यों से यह स्पष्ट होता है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी साम्राज्य की समृद्धि और संसाधनों का भरपूर उपयोग किया।

इस प्रकार, मौर्यकालीन अभिलेखों के माध्यम से सम्राट अशोक के शासन की विभिन्न पहलुओं को समझा जा सकता है, जैसे उनकी विस्तारवादी नीतियां, धार्मिक सहिष्णुता की ओर बदलाव, और बौद्ध धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता।

धार्मिक जीवन

मौर्य कालीन अभिलेखों का धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्त्व है, क्योंकि इनसे हमें शासकों द्वारा धर्म के प्रचार-प्रसार के कार्यों का पता चलता है। इन अभिलेखों में धार्मिक कार्यों के साथ-साथ शासकों द्वारा किए गए धार्मिक योगदानों का भी उल्लेख मिलता है, जो उनके शासन के सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं।

शक महाक्षत्रप रूद्रदामन के 150 ईस्वी के जूनागढ़ (गिरनार) अभिलेख में यह उल्लेख किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। यह झील उर्जयत पर्वत से नीचे की ओर बहने वाली सुवर्णसिक्ता और पलाशिनी नदियों पर बनाई गई थी। इस अभिलेख में यह भी बताया गया है कि अशोक के काल में, इस क्षेत्र के प्रांतीय शासक यवनराज तुषास्फ ने इस जलाशय से नहरें निकालने का कार्य किया। यह जलाशय केवल जल संरक्षण के लिए नहीं, बल्कि क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में भी योगदान देने वाला था, क्योंकि इस प्रकार के जलाशयों का निर्माण प्राचीन भारत में धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा कार्यों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता था।

सम्राट अशोक के अभिलेखों में धार्मिक उपदेशों का भी विस्तृत उल्लेख मिलता है। अशोक अपने व्यक्तिगत जीवन में बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उनके द्वारा 'धम्म' का प्रचार किया गया, वह केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं था। उन्होंने एक सार्वभौमिक धर्म का प्रचार किया, जो सभी धर्मों का सार या एक नैतिक संहिता जैसा प्रतीत होता है। यह 'धम्म' शांति, अहिंसा, और नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित था, जिसे उन्होंने अपनी प्रजा से पालन करने की अपील की। अशोक के धार्मिक उपदेशों का उद्देश्य केवल बौद्ध धर्म का प्रसार नहीं था, बल्कि एक व्यापक सामाजिक और नैतिक सुधार था, जो हर व्यक्ति को धर्म, सत्य, और अच्छाई की ओर प्रेरित करता था। इस प्रकार, अशोक के अभिलेखों में उनकी धार्मिक उदारता और रचनात्मक दृष्टिकोण की स्पष्ट झलक मिलती है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि उनका 'धम्म' सभी लोगों के लिए था, न कि केवल बौद्ध अनुयायियों के लिए।

इस तरह, मौर्य कालीन अभिलेख न केवल राजनीति, समाज और संस्कृति का ऐतिहासिक दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं, बल्कि शासकों की धार्मिक नीतियों और उनके द्वारा किए गए धार्मिक कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करते हैं। अशोक के अभिलेखों में वर्णित 'धम्म' का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, यह स्पष्ट है कि सम्राट अशोक ने व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसका सबसे सशक्त प्रमाण उनके बैराठ (भाभ्रूद्ध) अभिलेख में मिलता है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से 'बुद्ध, धम्म और संघ' के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। इस अभिलेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रति अपनी निष्ठा को प्रतिपादित किया और इसे अपने शासन का अभिन्न हिस्सा माना। अशोक के शासन में धार्मिक कार्यों के अंतर्गत किए गए दान कार्यों का भी उल्लेख मिलता है। इन दानों के माध्यम से उसने अपने राज्य में धार्मिक और नैतिक उद्देश्यों को बढ़ावा दिया।

अशोक के पाँचवें शिलालेख से यह जानकारी प्राप्त होती है कि उसने अपने राज्याभिषेक के तेरहवें वर्ष में 'धर्ममहामात्र' नामक एक नया पद स्थापित किया, जो इससे पूर्व कभी अस्तित्व में नहीं था। इन धर्ममहामात्रों की नियुक्ति का उद्देश्य था धार्मिक नीति का पालन कराना और समाज में शांति और सद्भावना को प्रोत्साहित करना।

धर्ममहामात्रों के निम्नलिखित कर्तव्य थे:

1. **धम्म की स्थापना (धमाधिधानायेद्ध):** धर्म की स्थापना और प्रसार के लिए प्रयत्नशील रहना।
2. **धम्म की वृद्धि (धम्मवृद्धियाद्ध):** धर्म के विस्तार के लिए प्रयास करना।
3. **धर्मात्माओं के हित एवं सुख के लिए समन्वय (सम्प्रदायों में समन्वय):** सभी धर्मों और सम्प्रदायों के बीच संतुलन और सामंजस्य बनाए रखना ताकि समाज में हर व्यक्ति का भला हो सके।

यह ध्यान देने योग्य है कि धर्ममहामात्रों की नियुक्ति सभी सम्प्रदायों से की गई थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अशोक की नीति सभी धर्मों को समान सम्मान देने की थी।

4. **सभी जातियों, अनाथों, वृद्धों के हित के लिए प्रयास:** सम्राट ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर अनाथों और वृद्धों की देखभाल और कल्याण के लिए प्रयास किए।
5. **प्रांतों में धर्म की प्रचार-प्रसार के लिए कार्य:** योन, कम्बोज, गंधार और अन्य प्रांतों में उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए कार्य किया गया।
6. **बंदियों की कठिनाइयों को दूर करना:** अशोक ने बंदियों के अधिकारों और उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए कार्य किए, ताकि वे भी समाज के प्रासंगिक सदस्य बन सकें।
7. **राजपरिवार के सदस्यों की देखभाल:** इसके अतिरिक्त, अशोक ने राजपरिवार के सदस्यों के कल्याण और भलाई के लिए भी विशेष प्रयास किए।

इस प्रकार, अशोक का शासन न केवल राजनीतिक दृष्टि से प्रभावी था, बल्कि यह धर्म, नैतिकता और समाज के सुधार की दिशा में भी एक प्रेरणा देने वाला था। उनके द्वारा स्थापित 'धर्ममहामात्र' जैसे पद और उनके धार्मिक कार्यों से यह स्पष्ट होता है कि सम्राट अशोक ने अपने शासन के माध्यम से धर्म और नैतिकता को सर्वोच्च स्थान दिया। इस प्रकार, मौर्यकाल में सम्राट अशोक ने धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने न केवल मनुष्यों बल्कि पशुओं के लिए भी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कीं, साथ ही जनहित में अनेक कार्य किए, जैसे विश्राम गृहों का निर्माण, कुओं का खुदवाना और पशुओं की बलि पर प्रतिबंध लगाना। इन कार्यों के संदर्भ में अशोक ने विभिन्न अभिलेखों का निर्माण कराया था।

सामाजिक जीवन के बारे में मौर्यकालीन अभिलेखों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इन अभिलेखों से यह भी स्पष्ट होता है कि शासक वर्ग समाज के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण रखता था। अशोक के छठे शिलालेख में उसने कहा, ''मैं मानता हूं कि सर्वलोकहित मेरा कर्तव्य है।'' इस शिलालेख में उसने यह भी घोषणा की कि ''जनता के कार्यों की सूचना देने के लिए प्रतिवेदक मुझसे कभी भी मिल सकते हैं, चाहे मैं भोजन कर रहा हूं, या अंतरूपुर में हूं, या शयनगृह में हूं, रथ या पालकी में हूं या उद्यान में हूं। मैं सर्वत्र जनता के कार्यों का सम्पादन करता हूं।'' यह उद्घोषणा अशोक के शासन की पारदर्शिता और जनसाधारण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।

जब शासकों द्वारा कठोर आदेश जारी किए जाते थे, तो इसका मतलब था कि वे सामाजिक नियमों के प्रति कठोर नीतियों का पालन करते थे। वहीं दूसरी ओर, शासक वर्ग की उदारता समाज के प्रति उनकी सहानुभूति और समझ का प्रतीक थी। अशोक अपने कर्मचारियों से भी यह अपेक्षाएँ रखता था कि वे अपनी प्रजा के प्रति एक संतान का भाव रखें। चौथे शिलालेख में अशोक ने कहा, ''जिस प्रकार माता-पिता अपनी संतान को योग्य धाय के हाथों में सौंपकर आश्वस्त होते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं अपने जनपदों के हित के लिए नियुक्त कर्मचारियों को भरोसा करता हूं।'' सामाजिक जीवन के अतिरिक्त, मौर्यकाल के अभिलेखों से नागरिकों की जीवनशैली के बारे में भी जानकारी मिलती है, जिसमें उनके खानपान, रहन-सहन, रीति-रिवाज, परंपराएं और परिवारिक संरचनाएं शामिल हैं।

आर्थिक जीवन की दृष्टि से, मौर्यकालीन अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि शासक अपने साम्राज्य के विस्तार के द्वारा आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करते थे। विस्तार से प्राप्त क्षेत्रों में व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से आर्थिक सफलता प्राप्त की जाती थी, और विजित प्रदेशों के संसाधनों पर भी शासकों का नियंत्रण होता था। अशोक के चौदहवें शिलालेख के अनुसार, उसका साम्राज्य विशाल था, जिसे ''महालके हि विजिते'' कहा गया है। डॉ. यू. एन. घोषाल ने इसे प्राचीन विश्व के विशालतम साम्राज्यों में से एक माना है।

अशोक के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अभिलेख स्थापित किए गए, जिनसे उसके साम्राज्य की सीमा का निर्धारण किया जा सकता है। नेपाल की तराई में प्राप्त अशोक के दो अभिलेख—रुम्मिनदेई स्तंभलेख और निग्लीवा स्तंभलेख—से यह पता चलता है कि नेपाल की तराई पर भी अशोक का अधिकार था। इसके अलावा, उड़ीसा, गुजरात, काठियावाड़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि उसका साम्राज्य दक्षिण में भी विस्तृत था।

इस प्रकार, मौर्यकाल में अशोक का साम्राज्य न केवल क्षेत्रीय दृष्टि से विशाल था, बल्कि उसका आर्थिक और सामाजिक ढांचा भी सुदृढ़ था। व्यापार, वाणिज्य और कृषि के माध्यम से प्राप्त होने वाली समृद्धि ने इस साम्राज्य को स्थिर और प्रभावशाली बना दिया। खनिज संसाधनों से संपन्न यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से भी अग्रणी था। अभिलेखों से यह भी ज्ञात होता है कि उस समय प्रचलित सिक्कों, व्यापार, वाणिज्य और शासकों द्वारा किए गए आर्थिक समझौतों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है।

सन्दर्भ सूची

1. भारतीय इतिहास प्राचीन भारत, प्रतियोगिता दर्पण संपादकीय पृष्ठ, 6।
2. उपर्युक्त, अशोक के अभिलेख।
3. भारत का ऐतिहासिक शदकोष, सुरजीत मान सिंह, पृष्ठ 67।
4. भारत का इतिहास, डॉ. कृष्णगोपाल शर्मा, डॉ. हुकम चन्द जैन, डॉ. मुरारीलाल शर्मा, अजमेरा बुक कम्पनी, 2010, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर 302002, पृष्ठ 244।
5. रमाशंकर त्रिपाठी, प्राचीन भारत का इतिहास, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1998, पृष्ठ 174।
6. भारत का इतिहास, डॉ. कृष्णगोपाल शर्मा, डॉ. हुकम चन्द जैन, डॉ. मुरारीलाल शर्मा, अजमेरा बुक कम्पनी, 2010, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर 302002, पृष्ठ 255।
7. राजबली पाण्डेय, प्राचीन भारत, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 1994, पृष्ठ 57।